कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर

क्रमांक 208 /2024 ग्वालियर, दिनांक –26/02/2024

आदेश

माह **मार्च 2024** में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक एवं घोषित अवकाश) में रिमांड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गई तिथि पर दिन के 3 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होकर संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा। उक्त आदेश दिनांक **01.03.2024** से प्रभावी रहेगा।

क.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	मार्च
1	श्रीमती पूर्णिमा कोठे राजन जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	3
2	श्री अमन सुलिया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	8
3	सुश्री अनुप्रेक्षा जैन जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	10
4	सुश्री शिवानी सैनी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16
5	श्रीमती मीनाक्षी रावत जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	17
6	सुश्री मयूरी गुप्ता जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	24
7	श्री विवेक सिंह राजन जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	25
8	सुश्री उपमा भार्गव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	26
9	सुश्री मानसी बालूजा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	29
10	श्री विजिताश्वं पुष्कर जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	31
	डबरा	
11	श्री आशीष कुमार केशरवानी जे.एम.एफ.सी. डबरा	3 8
12	श्री विनय कुमार तिवारी जे.एम.एफ.सी. डबरा	24 25
13	श्रीमती सोनल सिंह जदौन जे.एम.एफ.सी. डबरा	16 17

14	सुश्री राजेश्वरी जर्मन जे.एम.एफ.सी. डबरा	10 31
15	श्री दीपू शाक्य जे.एम.एफ.सी. डबरा	26 29
	भितरवार	
16	श्री राकेश सिंह जे.एम.एफ.सी भितरवार	8 10 26 29 31
17	सुश्री ऋचा शर्मा जे.एम.एफ.सी. भितरवार	03 16 17 24 25

आवश्यक निर्देश

1— सामान्य कार्य दिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है तो माह **मार्च 2024** में अवकाश घोषित किये जाने पर, अवकाश दिनांक को रिमाण्ड निम्नानुसार संपादित करेगें:—

ए. ग्वालियर में माह **मार्च 2024** में सुश्री शिवानी सैनी, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर, डबरा में श्री दीपू शाक्य, जे.एम.एफ.सी. डबरा, भितरवार में श्री राकेश सिंह, जे.एम.एफ.सी. भितरवार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेगें।

बी. इसी प्रकार यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो उक्त दिनांक के लिए नियत की गई रिमांड ड्यूटी निरस्त मानी जावेगी तथा यदि उसके स्थान पर किसी दूसरे दिन अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में वही न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करेगा, जिसकी पूर्व में निरस्त अवकाश वाले दिन रिमाण्ड ड्यूटी थी।

2— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी मानी जावेगी और उन्हें कार्य संपादित करना होगा।

3— भितरवार स्थित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित या अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी का कार्य डबरा तहसील मुख्यालय के उपलब्ध रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

4— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जब भी मुख्यालय अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत करे, तो उसमें यह अवश्य उल्लिखित करें कि जिन दिनांकों में मुख्यालय अवकाश चाहा गया है, उनमें उनकी रिमाण्ड ड्यूटी नहीं है; और यदि उनकी रिमाण्ड ड्यूटी है, तो अपने आवेदन पर अपने साथी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांकों पर रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर आवेदन प्रेषित करें।

5— पीठासीन अधिकारी के आकस्मिकता की स्थिति में अनुपस्थित या अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी का कार्य उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

सही/—
(नितिन कुमार मुजाल्दा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर

पृष्ठांकन कमांक--287/2024 ग्वालियर दिनांक. 26 /02/2024

1— कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (निरीक्षण) ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3— माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4— समस्त न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर/डबरा/भितरवार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5— कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं एस.डी.ओ.पी. ग्वालियर /डबरा /भितरवार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6— सचिव बार एसोसियेशन ग्वालियर/डबरा/भितरवार जिला ग्वालियर की ओर अवगत कराये जाने हेतु ।
7— केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8— जिला अभियोजन अधिकारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9— सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त रिमाण्ड ड्यूटी आदेश समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर/डबरा/भितरवार के ई.मेल पर अपलोड किये जाने बावत्।

(नितिन कुमार मुजाल्दा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर